न्यायालय:– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं(राज.)

पीठासीन अधिकारी :: **विजय कोचर, आर.जे.एस.,**

नियमित फौजदारी प्रकरण संख्या :: 116/26(268/16)(193/15)
सीएनआर नंबर :: RJJH130002402016
प्रथम सूचना रिपोर्ट व पुलिस थाना :: 164/2014, उदयपुरवाटी

राजस्थान राज्य **बनाम** दौलतराम

अपराध अंतर्गत धारा 498ए, 406 भारतीय दण्ड संहिता

भाग–प्रथम **दिनांक 22.04.2026**

(A)

परिवादी	श्रीमती कृष्णा देवी पत्नी दौलतराम पुत्री बीरबलराम मीणा, उम्र 35 साल, निवासी वार्ड नंबर 16 तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनूं(राज०)
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी
अभियुक्त का नाम व पता	**दौलतराम पुत्र जयराम, उम्र 39 साल, निवासी ढाणी चन्दूवाली, पुलिस थाना बानसूर, जिला कोटपूतली बहरोड़(राज०)**
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री अशोक कुमार स्वामी

(B)

अपराध की दिनांक	–––––––
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	02.06.2014
आरोप–पत्र प्रस्तुत करने की दिनांक	28.07.2014
आरोप विरचित किये जाने की दिनांक	29.01.2026
साक्ष्य प्रारम्भ की दिनांक	18.02.2026

निर्णय दिनांक	22.04.2026
दोषमुक्त/दोषसिद्ध की दिनांक	22.04.2026

भाग द्वितीय

अभियोजन गवाहान की सूची

अ– अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम
पी.डब्ल्यू. 1	कृष्णा देवी
पी.डब्ल्यू. 2	जयंत कुमार मीणा
पी.डब्ल्यू. 3	बीरबलराम
पी.डब्ल्यू. 4	सुशीला देवी

अभियोजन प्रदर्श

अ– अभियोजन प्रदर्श

प्रदर्श नंबर	विवरण
अभियोजन गवाहान की साक्ष्य के दौरान बचाव पक्ष की ओर से पेश दस्तावेज	
प्रदर्श डी.1	सहमति पत्र

–निर्णय– **दिनांक–22.04.2026**

1. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 164/2014 में अनुसंधान के पश्चात थानाधिकारी पुलिस थाना उदयपुरवाटी द्वारा अदम वकू झूठ में न्यायालय के समक्ष पेश पुलिस नतीजे से आहत होकर परिवादिया कृष्णादेवी द्वारा पेश नाराजगी याचिका पर जांच के पश्चात अपने आदेश दिनांक 28.07.2014 द्वारा न्यायालय के स्तर से अभियुक्त दौलतराम को धारा 498ए, 406 भारतीय दंड संहिता के अपराधों के लिए न्यायालय के समक्ष तलब किया गया। अभियुक्त दौलतराम के न्यायालय के समक्ष उपस्थित आने के पश्चात आरोप पूर्व साक्ष्य लेखबद्ध की जाकर जब दिनांक 29.01.2026 को अभियुक्त दौलतराम को धारा 498ए, 406 भारतीय दंड संहिता अपराधों के आरोप पृथक से विरचित कर सुनाए व समझाए गए तो उसने आरोपों से इंकार कर अन्वीक्षा चाही।

2. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिये पृष्ठ संख्या 2 व 3 भाग द्वितीय में वर्णित गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाये व दस्तावेजात प्रदर्शित करवाये।

3. परिवादिया की साक्ष्य पूर्ण होने के पश्चात जब अभियुक्त दौलतराम को धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के तहत परीक्षित किया गया तो उसने स्वयं के विरूद्ध पेश साक्ष्य को गलत बताते हुए साक्ष्य सफाई पेश नहीं करना चाहा ।

4. प्रकरण में विद्वान अभियोजन अधिकारी एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गई। बहस के दौरान परिवादिया के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क दिया कि स्वयं परिवादिया कृष्णा देवी ने अपनी साक्ष्य से इस तथ्य को अचूक रूप से साबित किया है कि उसके पति अभियुक्त दौलतराम ने विवाह के पश्चात दहेज की मांग को लेकर उसे तंग परेशान किया तथा परिवादिया के बच्चा न होने की वजह से उसे ताने देकर न केवल मानसिक रूप से परेशान किया बल्कि उस पर यह दबाव भी बनाया कि वह स्वेच्छा से दौलतराम की दूसरी शादी के लिए सहमत हो जावे। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार अभियुक्त दौलतराम ने स्वयं में न्यस्त परिवादिया के स्त्रीधन को न लौटाकर आपराधिक अमानत खमानत का अपराध भी कारित किया लिहाजा उसे धारा 498ए, 406 भारतीय दंड संहिता के अपराधों के लिए दोषी करार देना चाहिए।

5. अभियुक्त दौलतराम की ओर से उसके अधिवक्ता ने तर्क दिया कि दहेज की मांग को लेकर किसी शादीशुदा महिला को तंग परेशान किए जाने की बात को साबित मानने से पहले यह देखना आवश्यक है कि परिवादिया ने अपनी साक्ष्य में अखंडित तौर पर यह तथ्य उजागर किए हैं कि नहीं की उसे किस–किस समय किस मांग को लेकर किस रूप में प्रताड़ित एवं परेशान किया गया था। विद्वान अधिवक्ता के अनुसार यदि स्वयं परिवादिया के प्रतिपरीक्षण के कथनों को देखें तो वह सीधे तौर पर यह स्वीकार करती है कि न तो वह दहेज की मांग को लेकर स्वयं को तंग परेशान किए जाने की विशिष्ट घटनाओं के बारे में स्पष्ट तौर पर बता सकती है एवं न ही इस बात का कारण बता सकती है कि उसने अपने ससुराल के क्षेत्राधिकार के पुलिस थाने में कभी कोई एफआईआर दर्ज क्यों नहीं करवाई। इसके अतिरिक्त विद्वान अधिवक्ता ने यह भी तर्क दिया कि परिवादिया कृष्णा देवी ने स्वयं द्वारा न्यायालय के समक्ष पेश परिवाद में अभियुक्त दौलतराम पर सामान्य रूप से यह आरोप तो लगाए ळैं कि उसने अपने घरवालों के साथ मिलकर दहेज की मांग को लेकर उसे तंग परेशान किया परंतु स्वयं परिवादिया ने भी अपने पति के स्तर से संतान न होने की बात को लेकर स्वयं को परेशान किए जाने के तथ्य को अपने परिवाद का मुख्य आधार नहीं बनाया है बल्कि वह तो सहमति पत्र प्रदर्श डी 1 लिखे जाने से भी इनकार करती है। इसके अतिरिक्त विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क दिया कि माननीय उच्चतर न्यायालयों ने कई मामलों में यह अभिनिर्धारित किया है कि सामान्य घरेलू बोलचाल अथवा मनमुटाव को धारा 498ए भारतीय दंड संहिता के तहत परिभाषित क्रूरता के अपराध के दायरे में नहीं रखा जा सकता जब तक कि ऐसी किसी बात का किसी विवाहित महिला के शारीरिक अथवा मानसिक स्वास्थ्य पर गंभीर रूप से विपरीत असर पड़ना संभाव्य न हो अथवा उसके साथ ऐसा कोई कृत्य न किया गया हो जो उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित कर सकने वाले कृत्य के तौर पर देखा जा सकता हो।

परिवादिया अपने परिवाद के किसी भी हिस्से को विश्वसनीय तौर पर इस रूप में साबित करने में असफल रही है कि अभियुक्त दौलतराम ने उसे इस हद तक प्रताड़ित किया कि उसके मन में आत्महत्या करने के विचार उठने लगे थे। वर्ष 2010 से लेकर वर्ष 2014 के दौरान अपने ससुराल रहते हुए परिवादिया को किसी प्रकार की गंभीर शारीरिक अथवा मानसिक क्षति कारित हुई हो, ऐसा कोई तथ्य भी परिवादिया द्वारा अपनी साक्ष्य के दौरान न्यायालय के समक्ष नहीं रखा जा सका है। इन आधारों पर बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने अभियुक्त दौलतराम को धारा 498ए, 406 भारतीय दंड संहिता के अपराधों से दोषमुक्त किए जाने का निवेदन किया।

6. अपने तर्कों के समर्थन में विद्वान अधिवक्ता ने निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किए हैंः–

1. विनोद कुमार कुम्हार एंड आदि बनाम राजस्थान सरकार दिनांक 05.04.2019 (2019(2) Cr.L.R. (Raj.) 783
2. बेलिडे स्वगत कुमार बनाम तेलंगाना राज्य और अन्य दिनांक 19.12.2025 (2025 आईएनसी 1471)
3. शोभित कुमार मित्तल बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य दिनांक 24.09.2025 (2025 आईएनएससी 1152)
4. क्रिमिनल मिस्लेनिअस केस नंबर 5903/2022 उनवान वनीता गुप्ता एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली एवं अन्य के मामले में माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.02.2025
5. संजय डी. जैन एवं अन्य बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एवं अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 26.09.2025
6. घनश्याम सोनी बनाम राज्य (दिल्ली सरकार) और अन्य दिनांक 04.06.2025 (2025 आईएनएससी 803)

7. विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का ससम्मान अध्ययन कर उनसे मार्गदर्शन प्राप्त किया गया। उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किंया गया। बाद मनन एवं अवलोकन न्यायालय के समक्ष विचारणीय प्रश्न यह है कि–

1. **क्या दिनांक 06.06.2010 को परिवादिया कृष्णादेवी के साथ अपने विवाह के पश्चात अभियुक्त दौलतराम ने दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रपीड़ित कर उसके साथ क्रूरता का अपराध कारित किया?**
2. **क्या अभियुक्त दौलतराम ने स्वयं में न्यस्त परिवादिया के स्त्रीधन को उसके द्वारा मांगने के बावजूद उसे वापस न लौटाकर आपराधिक न्यास भंग कारित किया?**
3. **क्या अभियुक्त दौलतराम ने परिवादिया से अपने विवाह के पश्चात उसके मां न बन पाने की वजह से उसे मानसिक दबाव में लेकर अपने दूसरे विवाह के लिए**

सहमत होने के लिए उसे मजबूर किया जिसकी वजह से परिवादिया का अपने ससुराल में निवास करना दूभर हो गया?

4. यदि उक्त विचारणीय प्रश्नों का उत्तर हाँ में हैं तो उक्त अभियुक्त को क्या सजा दी जावे?

8. उक्त विचारणीय प्रश्नों के संदर्भ में पत्रावली पर अवस्थित साक्ष्य को देखें तो स्वयं परिवादिया कृष्णा देवी पी डब्ल्यू 1 अपने मुख्य परीक्षण में जाहिर करती है कि उसकी शादी दौलतराम के साथ 06.06.2010 को उसके घर उदयपुरवाटी में हुई थी। जयराम उसके ससुर, कौशल्या उसकी सास, कृष्णा उसकी ननद, विपिन व नरेश उसके देवर लगते हैं। रामप्रसाद, जिसका देहांत हो चुका है, उसके ससुर के मित्र हैं। संतरा देवी रामप्रसाद की पत्नी है। उसे शादी में उसके पिता ने एक सोने का हार, सोने की नथ, टीका, अंगूठी, चांदी की पायजेब, एक चांदी का नारियल दिया और उसके ससुराल वालों को एक सोने की चेन और दो अंगूठी सोने की दी थी और उसके अलावा घरेलू सामान सोफा, बेड, अलमारी, सिलाई मशीन, वाशिंग मशीन, मोटरसाईकिल और फ्रिज, बर्तन व अन्य घरेलू सामान दिया था और नगद 31000/– रूपये दिए थे, कचोले में। कपड़े वगैरह भी दिए थे। उसे उसकी शादी में दिए गए सामान की लिस्ट परिवाद के साथ पेश कर दी थी, जो शामिल पत्रावली है। शादी के बाद से ही दहेज को लेकर उसके ससुराल वाले उसे तंग परेशान करते थे। खाने को भी नहीं देते थे। उसे परेशान करने वालों में उसके ससुर जयराम, सास कौशल्या, ननद कृष्णा देवी, देवर विपिन व नरेश, रामप्रसाद व संतरा देवी, उससे एक लाख रूपये व कार की मांग करते थे तथा रूपये व कार लाने पर उसे यहां रहने देने की कहते। शादी के बाद उसे बच्चा नहीं हुआ। उसे बांझ कहते ओर ताने मारते थे। परेशान करने की बात उसने अपने पिताजी व भाई को बताई तो उनके द्वारा कहा गया वे लोग समझा देंगे, आगे परेशान नहीं करेंगे ओर उसके माता पिता भाई ने ससुराल वालों को समझाया, लेकिन उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। उसे परेशान करते रहे ओर आए दिन मारपीट की। उक्त सभी लोग उसे खाना नहीं देते, उसे बात भी नहीं करने देते तथा उसे किसी से मिलने भी नहीं देते। उसे कमरे में बंद कर देते। वह अत्याचार घर परिवार में बदनामी नहीं हो इस वजह से सहती रही। उन लोगों ने उसे 10.05.2014 को मारपीट कर घर से बाहर निकाल दिया तथा उसका सामान भी अपने पास रख लिया, उसे नहीं दिया। उसके बाद वह अपने पीहर उदयपुरवाटी आई और अपने माता पिता व भाई व मौसाजी को बताया तो उन्होंने कहा कि वे समझा देंगे। फिर वे सभी लोग उसे साथ लेकर दिनांक 22.05.2014 को उसके ससुराल गए, लेकिन उन्हें गाली गलौच निकालने लगे तथा मारपीट करने पर उतारू हो गए और कहा कि वे दौलतराम का दूसरा विवाह करेंगे, वे उसे नहीं रखेंगे। उसने अपना सामान जो शादी में दिया था, मांगने पर ससुराल वालों ने वापस नहीं दिया। उसके बाद उसने अपने पिताजी के साथ जाकर रिपोर्ट दी तो थाने वालों द्वारा कोर्ट का आदेश लाने बाबत कहा गया। पुलिस द्वारा कोई कार्रवाई नहीं करने पर उसके द्वारा परिवाद न्यायालय में पेश किया। दौलतराम उसका पति दिल्ली पुलिस

में नौकरी करता है। रामप्रसाद जो उसके ससुर का धर्म भाई है वह राजस्थान पुलिस में नौकरी करता है। इस कारण उनके प्रभाव के कारण कोई सुनवाई नहीं हुई।

9. परिवादिया कृष्णा देवी के भाई जयंत कुमार मीणा पी डब्ल्यू 2 के रूप में परीक्षित होते हुए अपने मुख्य परीक्षण में जाहिर करती है कि उसकी बहिन कृष्णा मीणा की शादी दिनांक 06.06.2010 को दौलतराम मीणा निवासी बानसूर के साथ हुई थी। शादी में उन्होंने कृष्णा को सोने की चेन, अंगूठी, हार, चांदी की पायजेब व अन्य सामान दिए थे। एक मोटरसाईकिल हीरो होंडा व अन्य सामान चांदी का नारियल व 31 हजार रूपये लगन टीके में दिए थे तथा बारात विदाई में 21 हजार रूपये दिए थे। उनके अलावा फ्रिज, टीवी, अलमारी, सोफा, मशीन, ड्रेसिंग टेबल व घरेलू सामान, बर्तन कपड़े आद सामान दिया था। दहेज की मांग को लेकर उसको कृष्णा का पति दौलतराम, ससुर जयराम, छोटे भाई व ननद कृष्णा, उनके पति रामखिलाड़ी, रामप्रसाद, विपिन परेशान व तंग करते थे, मारपीट करते थे। उसकी बहिन के साथ मारपीट करते थे तथा गाड़ी की मांग व एक लाख रूपये की मांग करते थे। कृष्णा जब भी उनके घर पर आती थी तो उन्हें यह बातें बताती थीं। कृष्णा को बच्चा नहीं होने पर उसको बांझ वगैरह कहती थी। वे लोग दौलतराम व उसके परिवारजनों को काफी बार समझाया कि उसकी बहन को परेशान नहीं करे, दहेज की मांग नहीं करे, मारपीट नहीं करे, लेकिन उन सब पर इन बातों का कोई असर नहीं हुआ। जब भी कृष्णा उदयपुरवाटी उनके पास आती तो कहती कि उसके ससुराल वाले परेशान करते तंग करते हैं। वह कहती कि उसे एक दो बार गला दबाकर मारने की कोशिश भी की थी। उन्होंने लोक लाज का ध्यान रखते हुए उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की, क्योंकि उन्होंने सोचा उन लोगों का व्यवहार सुधर जाएगा। इस पर दिनांक 10.05.2014 को कृष्णा को घर से बाहर निकाल दिया तथा मारपीट कर घर से भागा देने पर उसने उनके घर पर उदयपुरवाटी आकर बताया कि उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद 22.05.2014 को वह, उसके पिताजी, मौसाजी कृष्णा के ससुराल गए, तो उन लोगों ने बदतमीज तरीके से व्यवहार किया। उनके साथ अभद्र व्यवहार किया। उन्होंने कहा कि कृष्णा को वे साथ नहीं रखेंगे। दौलतराम की दूसरी शादी करेंगे। जब उसकी बहिन व उन्होंने सामान मांगा तो सामान देने से इंकार कर दिया। शादी के समय दिया गया सामान व उसकी लिस्ट दौलतराम को संभला दिया था तथा उनके परिवारजन को संभला दी थी। उसके बाद वे वापस उदयपुरवाटी आए। उसकी बहन व उसके पिताजी थाने में रिपोर्ट देने गए थे। दौलतराम दिल्ली पुलिस में नौकरी करते हैं। जयराम का धर्म का भाई रामप्रसाद राजस्थान पुलिस में नौकरी करता था। पुलिस उनके प्रभाव में थी। इस कारण उसकी बहिन की कोई सुनवाई नहीं हुई। बाद में उन्होंने कोर्ट में भी बयान करवाए।

10. परिवादिया कृष्णादेवी के पिता बीरबलराम पी डब्ल्यू 3 के रूप में परीक्षित होते हुए अपने मुख्य परीक्षण में जाहिर करता है कि उसकी लड़की कृष्णा की शादी दिनांक 06.06.2010 को दौलतराम के साथ उदयपुरवाटी में हुई थी। दौलतराम बांसुर का रहने वाला है। शादी हिन्दू

रीतिरिवाज व मीणा जात में प्रचलित रीतिरिवाज के अनुसार हुई थी। उसने अपनी हैसियत के अनुसार अच्छा दान दहेज देकर शादी की थी, जिसमें सोने का हार, सोने का मांग टीका, कानों के झूमके, सोने की चैन, चांदी की पायजेब, चांदी का नारियल, चांदी की बिछया, 21,000/– रूपये टीके में व 31,000/– रूपये पहरावनी में दिए थे। एक मोटरसाईकिल, कूलर, वाशिंग मशीन, टीवी, फ्रीज, आलमारी, छोटे मोटे बक्श कपड़े, आलमारी व दात का सम्पूर्ण सामान दिया था। उसके बाद जब उसकी लड़की कृष्णा ससुराल से उदयपुरवाटी आई तो उसे बताया कि दौलतराम, जयराम, कोशल्या देवी, कृष्णा, नरेश, रामप्रसाद और संतरा देवी ने कहा कि सामान कम लाई है और एक लाख रूपये तथा कार की मांग की। इसी मांग को लेकर उक्त लोग उसकी लड़की कृष्णा के साथ मारपीट करते, लात घूंसे, कमरे में बंद रखना, बाल पकड़कर घंसीटा, किसी से मिलने नहीं देना हरकतें करते थें, तो उसने अपनी लड़की को कहा कि वे उसके ससुराल वालों को समझा देंगे, परंतु लड़की को उन्होंने मारपीट कर दिनांक 10 मई 2014 को घर से निकाल दिया, तो वह, उसका लड़का जयंत व उसका साडू विनोद अपनी लड़की के साथ दिनांक 22.05.2014 को लड़की के ससुराल गए तो उन्हें घर में घुसने नहीं दिया, ना ही उसकी लड़की को घर में घुसने दिया। उनके साथ लड़ाई झगड़ा किया तथा कहा कि उन्होंने दौलतराम का दूसरी जगह रिश्ता तय कर दिया है, वहीं शादी करेंगे। उसके बाद जब उसकी लड़की के ससुरालवालों ने घर में नहीं घुसने दिया तो वे उदयपुरवाटी वापस आकर दूसरे दिन थाने में रिपोर्ट लेकर आए तो थाने वालों ने कोर्ट से आदेश लेकर आने की कही। फिर कोर्ट में इस्तगासे के द्वारा रिपोर्ट दर्ज करवाई। दौलतराम दिल्ली पुलिस में ओर रामप्रसाद राजस्थान पुलिस में हैं, उक्त दोनों ने अपने प्रभाव से मुकदमा बंद करवा दिया। उसकी लड़की का सम्पूर्ण गहना व कपड़े लत्ते सब उसकी लड़की के ससुराल में ही हैं। उन्होंने अभी तक कुछ नहीं दिया।

11. परिवादिया कृष्णा देवी की माता सुशीला देवी पी डब्ल्यू 4 के रूप में परीक्षित होते हुए अपने मुख्य परीक्षण में जाहिर करता है कि कृष्णा उसकी बेटी है, जिसका विवाह करीब चौदह साल पहले उसके पति दौलतराम के साथ अपनी हैसियत अनुसार अच्छा दान दहेज देकर किया था। विवाह के बाद कृष्णा अपने ससुराल बानसुर आने जाने लगी। कृष्णा को उसका पति दौलतराम, ससुर व सास, ननद व देवर दहेज की मांग को लेकर तंग परेशान करते थे, वे कृष्णा से कार व एक लाख रूपये की मांग करते थे। कृष्णा ने उन्हें उक्त बातें बताई थी। उन लोगों ने कृष्णा के पति व ससुराल के लोगों को समझाया लेकिन ये लोग नहीं माने। फिर 2014 में कृष्णा को उसके पति ने तंग परेशान कर मारपीट कर घर से निकाल दिया। कृष्णा का स्त्रीधन भी मांगने पर नहीं दिया। कृष्णा तब से उनके पास ही रह रही है।

12. परिवादिया द्वारा पेश साक्ष्य के मूल्यांकन के उद्देश्य से उसके द्वारा प्रतिपरीक्षण में किए गए कथनों को देखें तो उसके अनुसार दौलतराम के साथ उसकी शादी राजी खुशी हुई थी, शादी के समय दहेज की कोई मांग नहीं की गई थी। परिवादिया के अनुसार सहमति पत्र, दस्तावेज आपसी इकरारनामा पर हस्ताक्षर उसी के हैं हालांकि अज खुद जाहिर करती है कि उसे

हस्ताक्षरों का ध्यान नहीं है। अपने प्रतिपरीक्षण में बताती है कि उसके बच्चे न होने के कारण वह स्वयं ससुराल छोड़कर आई थी। उसके अनुसार उसके बच्चे नहीं है। वह अपने ससुराल में चार साल रही थी। दहेज की मांग को लेकर स्वयं के साथ मारपीट कर प्रताड़ित करने का मुकदमा उसने बानसूर थाने में दर्ज नहीं करवाया था।

13. परिवादिया कृष्णा कुमारी आगे अपने प्रतिपरीक्षण में जाहिर करती है कि उसे उसका दहेज का सामान नहीं प्राप्त हुआ। उसके साथ उदयपुरवाटी में कोई मारपीट नहीं हुई। यह दिनांक 10.05.2014 को अकेले ही अपने पीहर आई थी। उसे कोई छोड़कर नहीं गया। फिर वह जाहिर करती है कि उसका पति व देवर उसे छोड़ने आए थे। वह इस सुझाव को स्वीकार करती है कि दिनांक 10.05.2014 को उसने पुलिस थाना उदयपुरवाटी में कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं करवाई।

14. आगे अपने प्रतिपरीक्षण में परिवादिया कृष्णा देवी जाहिर करती है कि उसे अपने ससुराल गए 7–8 साल हो गए। दौलतराम यदि उसे अपने साथ रखना चाहे तो भी वह उसके साथ नहीं रहेगी। वह इस सुझाव को गलत बताती है कि उसने जानबूझकर दौलतराम का परित्याग कर रखा है।

15. अपने प्रतिपरीक्षण में कृष्णा देवी इस सुझाव को गलत बताती है कि अभिषेक अस्पताल जयपुर में उसका चेकअप करवाया गया हो, उसका ऑपरेशन भी करवाया गया हो, इसके बाद भी वह मां नहीं बन सकती थी, इस कारण उसके व दौलतराम के रिश्तेदार के इकट्ठे हुए हो एवं दोनों पक्षों में आपस में तय हुआ हो कि वह कभी मां नहीं बन सकती थी। वह इस सुझाव को स्वीकार करती है कि उसके पीहर रहने के 7–8 साल के दौरान उससे कोई दहेज की मांग व मारपीट नहीं की गई। उसके अनुसार दौतल व उसके घरवाले उसे ले जाना चाहते हैं लेकिन वह जाना नहीं चाहती। वह इस सुझाव को गलत बताती है कि उसने सुंदर नाम के व्यक्ति से दूसरी शादी कर ली तथा सुंदर के साथ सीकर में निवास करती है।

16. परिवादिया कृष्णा देवी पी डब्ल्यू 1 के कथनों के अनुसार वर्ष 2010 में उसके विवाह से कुछ वर्ष पूर्व वर्ष 2006 में उसकी सगाई हुई थी। दौलतराम सगाई होने के बाद नौकरी लगा था। सगाई के वक्त दहेज की कोई मांग नहीं की थी। विवाह से पहले दौलतराम व उसकी फोन पर बातचीत हुई थी। विवाह से पहले फोन पर दौलतराम ने कभी कोई दहेज की मांग नहीं की। उसने अपने विवाह के चार साल बाद मुकदमा दर्ज करवाया था। उसके मुकदमे से पूर्व दौलतराम ने अलवर कोर्ट में मुकदमा दर्ज करवाया था। नोटिस आने के बाद गवाह ने मुकदमा दर्ज करवाया था। गवाह इस सुझाव को स्वीकार करती है कि अपने ससुराल में रहने के चार साल के दौरान उसने दौलतराम के खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं करवाया था। उसके भाई जयंत की शादी वर्ष 2012–2013 में हुई थी। गवाह इस सुझाव को स्वीकार करती है कि विवाह में दौलतराम आया था। उसके अनुसार उस समय दौलतराम 3–4 दिन रूका था। उस समय दौलतराम ने उससे दहेज की मांग नहीं की थी। ससुराल में उसके साथ किस तारीख को मारपीट हुई, गवाह को

ध्यान नहीं है। उसके अनुसार उसके पास मोबाइल फोन था लेकिन फोन ससुराल वाले ले लेते थे। वह अपने पीहर दिनांक 10.05.2014 को आई थी। गवाह इस सुझाव को स्वीकार करती है कि वह चार साल अपने ससुराल में रही, उस दौरान उसके कोई संतान नहीं हुई। वह इस सुझाव को भी स्वीकार करती है कि उसकी बच्चेदानी में समस्या होने की वजह से उसे संतान प्राप्ति नहीं हुई। उसके अनुसार उसका इलाज भी करवाया था लेकिन डॉक्टर की सलाह के अनुसार उसे छह महीने तक बेड रेस्ट नहीं करने दिया गया।

17. यह गवाह सहमति पत्र प्रदर्श डी 1 पर ए से बी अपने हस्ताक्षर होना स्वीकार करती है। उसके अनुसार उसे ध्यान नहीं कि यह हस्ताक्षर कब करवाए थे।

18. गवाह इस सुझाव को गलत बताती है कि उसके घरवालों ने दौलतराम से यह बात छुपाकर उसका विवाह किया हो कि वह मां नहीं बन सकती।

19. अपने प्रतिपरीक्षण में गवाह जाहिर करती है कि पुलिस ने जो उसका दहेज का सामान जप्त किया था, वह उसे मिल चुका है। उसके अनुसार उसका गहना नहीं मिला है। उसका गहना नथ, टीका, चार पायजेब की जोड़ी, कान की बाली उसके ससुरालवालों के पास है। गवाह को नहीं पता कि यह सोने चांदी के गहने कितने तौले के थे।

20. गवाह इस सुझाव को गलत बताती है कि लक्ष्मणगढ़ के गांव यालसर निवासी सुंदर से उसका विवाह किया हो। उसे नहीं पता कि विधानसभा लक्ष्मणगढ़ की अनुभाग की संख्या मीणो का मोहल्ला की क्रम संख्या 1059 पर वोटर लिस्ट में सुंदर लाल का नाम हो तथा 1094 पर कृष्णा कुमारी पत्नी सुंदर का नाम दर्ज हो। फोटोग्राफ देखकर गवाह बताती है कि यह फोटो उसी की है।

21. गवाह कृष्णा कुमारी पी डब्ल्यू 1 के अनुसार उसे नहीं पता कि सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट बानसूर में मुकदमा नंबर 25/15 दौलतराम बनाम कृष्णा देवी में दिनांक 17.01.2017 को विवाह विच्छेद की डिक्री पारित कर दी गई हो। गवाह इस सुझाव को स्वीकार करती है कि उसके पति दौलतराम ने पहले मुकदमा दर्ज करवाया था, उसके बाद उसने मुकदमा दर्ज करवाया था।

22. परिवादिया कृष्णा देवी का भाई जयंत कुमार मीणा पी डब्ल्यू 2 अपने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को स्वीकार करता है कि इस मुकदमे से पहले उन्होंने बानसूर थाने में दहेज व मारपीट का मुकदमा दर्ज नहीं करवाया था। उसके अनुसार दिनांक 22.05.2014 को समझाने के लिए वह, उसके पिता व उसके मौसाजी गए थे। उसके मौसा जी का नाम विनोद जी है। जब वह लोग समझाने गए वहां पर 8–10 लोग मौजूद थे। उन्होंने दिनांक 22.05.2014 को गाली गलौच व धक्का मुक्की होने का मुकदमा बानसूर थाने में दर्ज नहीं करवाया था। गवाह इस सुझाव को स्वीकार करती है कि उदयपुरवाटी में उसकी बहन के साथ कोई मारपीट नहीं हुई। गवाह इस सुझाव को भी गलत बातता है कि उसकी बहन ने सुंदर लाल नाम के व्यक्ति से दूसरी शादी कर ली हो तथा

वह उसी के साथ यालसर(सीकर) में निवास करती हो। गवाह इस सुझाव से इनकार करता है कि उसकी बहन के संतान पैदा न होने के कारण वह ससुराल छोड़कर आई थी। गवाह इस सुझाव को स्वीकार करता है कि उदयपुरवाटी में आकर दहेज की कोई मांग नहीं की गई।

23. कृष्णा देवी के पिता बीरबलराल पी डब्ल्यू 3 के रूप में परीक्षित होते हुए अपने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को गलत बताते हैं कि कृष्णा ने दूसरी शादी के लिए सहमति दी थी जिसका सहमति पत्र 19.11.2013 को सौ रुपये के स्टाम्प पर लिखकर नोटेरी से तस्दीक करवाया गया।

24. उक्त गवाह बीरबलराम बचाव पक्ष के इस सुझाव को स्वीकार करता है कि सोने का हार, सोने का मांग टीका, सोने की नथ, सोने की अंगूठी, चांदी की पायजेब, सोने की बिछिया उन्होंने अपनी बेटी को ही दी थी अज खुद गवाह जाहिर करता है कि यह सामान उन लोगों के पास ही है। उन्होंने गवाह की बेटी को मारपीट कर घर से निकाल दिया था। गवाह को ध्यान नहीं कि उसकी पुत्री से एक लाख रुपये व एक कार की मांग किस–किस तारीख को की थी।

25. कृष्णा देवी की माता सुशीला देवी अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इस सुझाव को गलत बताती है कि बच्चा नहीं होने की वजह से कृष्णा अपनी इच्छा से ससुराल छोड़कर आई थी।

26. अब यदि परिवादिया की ओर से पेश साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में अभियुक्त दौलतराम के विरुद्ध परिवादिया के मामले को समझने का प्रयास करें तो जो बात प्रभावी तौर पर उभरकर सामने आती है वह यह है कि वर्ष 2006 के आसपास अभियुक्त दौलतराम के साथ परिवादिया की सगाई से लेकर दिनांक 06.06.2010 को परिवादिया के विवाह तक अभियुक्त अथवा उसके परिवार की ओर से दहेज की किसी प्रकार की मांग न किए जाने के तथ्य को परिवादिया के स्तर से स्वीकार किया गया है। संपूर्ण विवाद अभियुक्त दौलतराम के परिवादिया से विवाह के पश्चात से लेकर दिनांक 22.05.2014 के मध्य की अवधि में घटने वाली घटनाओं को लेकर है। इस समयावधि में जहां परिवादिया एवं उसके परिवारजन के अनुसार अभियुक्त दौलतराम एवं उसके परिवारजन ने दहेज की मांग को लेकर उसे शारीरिक एवं मानसिक रूप से प्रताड़ित किया वहीं स्वयं परिवादिया के अनुसार उसके भाई जयंत का विवाह 2012–13 में हुआ था एवं इस विवाह में दौलतराम न केवल शरीक हुआ था वह 3–4 दिन परिवादिया के पीहर में रहा भी और इसके पश्चात राजीखुशी वापस चला गया था। स्वयं परिवादिया के अनुसार इस दौरान दौलतराम ने उससे दहेज की कोई मांग नहीं की थी। वर्ष 2010 से लेकर वर्ष 2014 के कालखंड में विशिष्ट तौर पर किस दिनांक को परिवादिया को किसी रूप में उत्पीड़ित किया गया, के संबंध में किसी प्रकार का खुलासा स्वयं परिवादिया की साक्ष्य में नहीं होता है। परिवादिया की साक्ष्य में यह तथ्य भी स्वीकृत तौर पर सामने आया है कि विवाह के पश्चात उसके मां न बन पाने को लेकर उसके अथवा उसके पति के मन में कहीं न कहीं किसी प्रकार के असंतोष का भाव था। यहां

बचाव पक्ष ने जाहिरा तौर पर अभियुक्त दौलतराम के बचाव में स्वयं परिवादिया द्वारा हस्ताक्षरित एक सहमति पत्र प्रदर्श डी 1 के रूप में पेश किया है जो 19.11.2013 को लिखे जाने के पश्चात दिनांक 02.12.2013 को नोटेरी से सत्यापति भी करवाया गया है एवं इस सहमति पत्र के अनुसार स्वयं के कभी मां न बन पाने की स्थिति स्पष्ट होने के पश्चात अपने पति के वंश को आगे बढ़ाने के लिए परिवादिया ने उसकी दूसरी शादी की सहमति दी तथा यह भी विश्वास दिलवाया कि यदि उसका पति दूसरी शादी करता है तो उसे न केवल कोई आपत्ति नहीं होगी बल्कि वह एवं उसके पीहर वाले उसके पति पर द्विविवाह का कोई केस वगैरह भी नहीं करेंगे तथा परिवादिया अपने पति के साथ अपने ससुराल में निवास करना जारी रखेगी।

27. बचाव पक्ष की ओर से पेश उक्त सहमति पत्र प्रदर्श डी 1 के निहितार्थ परेशान करने वाले हैं। यह सहमति पत्र अपने आप में इस बात का द्योतक है कि यदि कोई महिला किन्हीं कारणों से मां नहीं बन पाती है तो अपने पति के वंश को आगे बढ़ाने के लिए उसे स्वेच्छा से अपने पति के दूसरे विवाह को स्वीकार कर लेना चाहिए। यदि किसी महिला से इस आशय का सहमति पत्र लिखवाया जाकर उसके हस्ताक्षर करवाए जाकर उसे नोटेरी से तस्दीक करवाया जाता है तो इस बात को सहज ही समझा जा सकता है कि ऐसा सहमति पत्र लिखने से पूर्व वह किस मानसिक अवस्था से गुजरी होगी तथा ऐसी सहमति देने के लिए तैयार होने से पूर्व प्रत्यक्ष या परोक्ष प्रकृति की कितने मानसिक दबाव उस पर रहे होंगे।

28. हस्तगत मामले में वर्ष 2010 से वर्ष 2014 तक परिवादिया कृष्णा देवी के अपने ससुराल में ही निवासरत रहने की बात न्यायालय के सामने आई है एवं यह सहमति पत्र दिनांक 19.11.2013 उसी दौरान लिखा अथवा लिखवाया गया था जब परिवादिया कृष्णा देवी मुख्य रूप से अपने ससुराल में ही निवास करती थी। परिवादिया कृष्णा देवी एवं उसके परिजनों के प्रतिपरीक्षण के दौरान बार–बार इंगित करने का प्रयास किया गया है कि स्वयं परिवादिया किसी अन्य से विवाह करना चाहती थी बल्कि वह सुंदर नाम के किसी व्यक्ति से विवाह कर उसके साथ रहने भी लग गई। परिवादिया पर लगाए गए आक्षेप अति विचित्र प्रकृति के हैं। स्वयं अभियुक्त दौलतराम के अनुसार वह परिवादिया से विवाह विच्छेद की डिक्री प्राप्त कर चुका है एवं परिवादिया से विवाह विच्छेद के बावजूद उसे इस बात पर आपत्ति है कि वह किसी अन्य व्यक्ति से विवाह करना चाहती है अथवा विवाह कर चुकी है परंतु परिवादिया के साथ विवाह के कायम रहने के दौरान ही स्वयं द्वारा किसी अन्य महिला से विवाह कर उसे उसी घर में रखने की बात का आपत्तिजनक होना अथवा अमानवीय होना न केवल उसकी चेतना में ही नहीं है बल्कि वह ऐसे सहमति पत्र को परिवादिया के विरुद्ध क्रूरता के अपराध से स्वयं के बचाव के रूप में पेश कर रहा है।

29. यद्यपि न्यायालय बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत है कि परिवादिया ने दहेज की मांग को लेकर स्वयं को तंग परेशान किए जाने के संबंध में कोई विशिष्ट तथ्य न्यायालय के समक्ष नहीं रखे हैं बल्कि सामान्य रूप से दोषारोपण किया है एवं मात्र इस आधार

पर युक्तियुक्त संदेहों के दायरे से बाहर जाकर यह मानने का आधार नहीं है कि अभियुक्त दौलतराम ने परिवादिया के साथ अपने विवाह से पूर्व अथवा साथ रहने के दौरान नगद एवं किसी वस्तु की मांग को लेकर उसे प्रपीड़ित किया हो। परिवादिया एवं उसकी ओर से परीक्षित गवाहान की साक्ष्य के विश्लेषण से अभियुक्त दौलतराम के स्तर से परिवादिया के विरुद्ध आपराधिक न्यास भंग का अपराध कारित किए जाने संबंधी कोई तथ्य भी स्पष्ट तौर पर उभरकर सामने नहीं आए हैं। स्वयं परिवादिया कृष्णा देवी द्वारा प्रतिपरीक्षण में की गई कई स्वीकारोक्तियां अभियुक्त दौलतराम की प्रवृत्तियों को लेकर न्यायालय को यह अवधारणा करने के लिए प्रेरित करती है कि वह लोभी प्रवृत्ति का व्यक्ति नहीं है।

30. स्वयं परिवादिया ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान उसके उचित आचरण की साक्ष्य दी है परंतु परिवादिया के मां नहीं बन पाने की बात को लेकर उसके ससुराल निवास के दौरान बना एक ऐसा वातावरण अवश्य दृष्टिगत होता है जो किसी महिला के आत्मसम्मान को इस हद तक आघात पहुंचाने के लिए पर्याप्त प्रतीत होता है कि उसे अपना जीवन मृत्यु से अधिक बदतर लगने लगे। यही वह परिस्थितियां होती हैं जो किसी महिला को अपना जीवन समाप्त कर लेने के लिए प्रेरित करने के हिसाब से पर्याप्त मानी जानी चाहिए एवं व्यावहारिक दुनिया में ऐसे अनेकों उदाहरण निरंतर सामने आते रहते हैं जिनका न्यायिक संज्ञान लेते हुए ही अपने ससुराल में परिवादिया की स्थिति का मूल्यांकन किया जाना समीचीन है। यद्यपि स्वयं परिवादिया ने किन्हीं कारणों से विवादित सहमति पत्र प्रदर्श डी 1 निष्पादित करने से इनकार किया है परंतु स्वयं अभियुक्त पक्ष की ओर से इस आशय की पर्याप्त साक्ष्य दी गई है कि स्वयं परिवादिया ने यह सहमति पत्र निष्पादित किया था। अभियुक्त पक्ष ने न केवल इस संबंध में साक्ष्य दी है बल्कि इसे अपने बचाव का आधार बनाने का प्रयास किया है। न्यायालय के विनम्र मत में पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य से यह तथ्य युक्तियुक्त संदेहों के दायरे से बाहर जाकर पूर्ण रूप से साबित है कि परिवादिया के मां न बन पाने की वजह से उसके पति एवं अन्य ससुराल वालों ने एक ऐसा माहौल निर्मित किया जिसमें परिवादिया को स्वयं को इस बात के लिए तैयार करना पड़ा कि उसका पति उसके साथ शादी के कायम रहने के दौरान ही किसी अन्य महिला से विवाह कर ले तथा स्वयं परिवादिया न तो इसका कोई विरोध करे एवं न ही ऐसे विवाह के पश्चात किसी प्रकार की हील हुजत करे। प्रकृति के सामान्य अनुक्रम में किसी भी महिला से यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह ऐसी परिस्थितियों को सहज तौर पर स्वेच्छा से स्वीकार कर लेवे एवं परिवादिया ने अपने पति दौलतराम के विरुद्ध अन्य आरोपों के साथ विशिष्ट तौर पर यह भी आरोप लगाया है कि शादी के बाद उसके बच्चा नहीं होने की वजह से उसे बांझ कहकर ताने मारे जाते थे तथा जब दोनों परिवारों के बीच सुलह के प्रयास के तहत दिनांक 22.05.2014 को अथवा इसके आसपास परिवादिया के घरवालों ने उसे वापस अपने ससुराल में बसाने का प्रयास किया तो उसके ससुराल वालों ने बोला कि यह दौलतराम का दूसरा विवाह करेंगे तथा परिवादिया को नहीं रखेंगे।

31. उक्त विवेचन के आधार पर यह न्यायालय अभियुक्त दौलतराम को धारा 406 भारतीय दंड संहिता के अपराध के आरोप से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त करना उचित समझने के बावजूद उसे धारा 498ए भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए दोषसिद्ध करना उचित समझता है।

--आदेश--

32. अतः अभियुक्त **दौलतराम पुत्र जयराम, उम्र 39 साल, निवासी ढाणी चन्दूवाली, पुलिस थाना बानसूर, जिला कोटपूतली बहरोड़(राज०)** को धारा 406 भारतीय दंड संहिता के अपराध के आरोप से संदेह का लाभ देकर दोषमुक्त घोषित किया जाता है वहीं उसे धारा 498ए भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए दोषीसिद्ध घोषित किया है।

33. दोषमुक्त अभियुक्त को धारा 437 (क) दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत दस हजार रूपये का निजी बंधपत्र एवं समान राशि का प्रतिभू पत्र न्यायालय के समक्ष पेश किए जाने के आदेश दिए जाते हैं।

(विजय कोचर)

सजा के प्रश्न पर सुना गया।

34. सजा के प्रश्न पर सुना गया। विद्वान अधिवक्ता परिवादिया एवं बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा दी गई दलीलों पर मनन किया गया। न्यायालय महिलाओं को लेकर समाज में व्याप्त दृष्टिकोण की सच्चाई से अपना मुंह नहीं मोड़ सकता है। इस समाज में अभियुक्त दौलतराम अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं है जो किसी महिला के बच्चा न हो पाने की वजह से उसे पत्नी न समझकर एक भार समझने लगे। जहां विभिन्न कारणों से महिलाओं को लेकर अवांछित एवं अमानवीय सोच एवं व्यवहार को समाज द्वारा आत्मसात कर लिया जाना महिलाओं के साथ एक कड़वी सच्चाई है वहां यह न्यायालय अभियुक्त दौलतराम के मामले को उस रूप में देखना उचित नहीं समझता जैसे कि वह कोई अभ्यस्त एवं आदतन अपराधी हो। स्वयं परिवादिया ने अपने प्रतिपरीक्षण के दौरान अभियुक्त दौलतराम के अच्छे व्यवहार की कई घटनाओं की साक्ष्य दी है। अभियुक्त दौलतराम परिवादिया से विवाह विच्छेद के पश्चात दूसरी शादी कर चुका है तथा दूसरी शादी से उसके संतान भी हो चुकी है वहीं परिवादिया भी संभवतः अपने जीवन में आगे बढ़ चुकी है। इन सब परिस्थितियों में यदि अभियुक्त दौलतराम को सुधरने का अवसर देने की बजाय उसे तुरंत दंडित किया जावे तो हस्तगत प्रकरण विशेष की तथ्यों परिस्थितियों में ऐसा करना अभियुक्त दौलतराम के साथ-साथ उसके नए परिवार के सदस्यों के भविष्य पर कुठाराघात करने के समान होगा। अतः यह न्यायालय अभियुक्त दौलतराम को धारा 498ए भारतीय दंड संहिता के अपराध के लिए दोषी करार देने के बावजूद उसे तुरंत दंडित न कर उसे स्वयं में सुधार लाने का एक अवसर देते हुए सदाचार की परिवीक्षा पर रिहा करना उचित समझता है। इसके

साथ ही यह न्यायालय अभियुक्त दौलतराम से परिवादिया को क्षतिपूर्ति दिलवाना भी उचित समझता है।

--दण्डादेश--

35. अतः अभियुक्त **दौलतराम पुत्र जयराम, उम्र 39 साल, निवासी ढाणी चन्दूवाली, पुलिस थाना बानसूर, जिला कोटपूतली बहरोड़(राज०)** को धारा 498ए भारतीय दंड संहिता के अपराध में तुरन्त कारावास से दंडित करने की बजाय सुधरने का एक अवसर प्रदान करते हुए आदेश दिया जाता है कि यदि अभियुक्त पूर्व में इस प्रकार के किसी अपराध की दोषसिद्धि में परिवीक्षा का लाभ प्राप्त नहीं करने बाबत स्वयं का शपथ पत्र एवं अपराधी परिवीक्षा अधिनियम की धारा 4 के तहत दो वर्ष की अवधि के लिए दस हजार रूपये राशि का स्वयं का बंधपत्र एवं समान राशि का एक प्रतिभू पत्र, इस आशय का न्यायालय के संतोषप्रद पेश कर सत्यापित करावें कि वह उक्त अवधि में इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगा, शांति एवं सद्व्यवहार कायम रखेगा तथा उक्त शर्तों की पालना नहीं करने पर न्यायालय द्वारा सजा भुगतने के लिए आहूत किए जाने पर सजा भुगतने के लिए तत्पर रहेगा तो उसे हस्तगत प्रकरण में आपराधिक परिवीक्षा का लाभ दिया जावे। अभियुक्त दौलतराम परिवादिया श्रीमती कृष्णादेवी को 25,000/- बतौर क्षतिपूर्ति अदा करेगा। अपराध परिवीक्षा अधिनियम की धारा 12 के तहत आदेश दिया जाता है कि इस दोषसिद्धि से अभियुक्त निरर्हता से ग्रस्त नहीं होगा।

(विजय कोचर)

36. निर्णय आज दिनांक 22.04.2026 को लिखाया जाकर विवृत्त न्यायालय में सुनाया गया।

(विजय कोचर)